कमिश्नर वाणिज्य कर ,उत्तर प्रदेश

उपस्थितः- श्री दीपक कुमार ,कमिश्नर वाणिज्य कर , उत्तर प्रदेश ।

प्रार्थी :- **सर्वश्री न्यू0आर0के0ट्रेडर्स ,स्टेशन रोड,फिरोजाबाद ।**

प्रा0प0सं0- **228/2008**

प्रार्थी की ओर से- **श्री अजय जैन,एडवोकेट ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम,2008की धारा-59 के अर्न्तगतनिर्णय

1- प्रार्थी के द्वारा दिनांक 05-5-2008 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम,2008 की धारा-59 के अर्न्तगत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है,जिसमें उल्लेख किया गया है कि वे कॉच की चूड़ी तथा कॉच के सामान निर्माताओं को भट्‌टी बनाने के लिये रिफ्रेक्टरीज बेचते है। इसके अन्तर्गत फायर ब्रिक्स,ब्लॉक,टाइल्स की बिक्री की जाती है। इन पर कर की दर की जानकारी चाही गयी है।

2- एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-।,वाणिज्य कर,आगरा से प्राप्त आख्या में उल्लेख किया गया है कि Refractory monolithic पर 4 प्रतिशत की दर से करदेयता है।

3- धारा-59 के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हेतु श्री अजय जैन,एडवोकेट उपस्थित हुयें व बताया कि वैट अधिनियम की अनुसुची-2 के भाग-ग के कमांक-197 पर Refractory monolithic की प्रविष्टि है। फायरब्रिक्स,ब्लॉक,टाइल्स, Refractory monolithic के अन्तर्गत आते है। इस सम्बन्ध में उनके द्वारा कॉच उद्योग विकास केन्द्र, फिरोजाबाद के प्रिसिंपल डायरेक्टर के द्वारा हस्ताक्षरित Refractory monolithic की Technical opinion दिनांक 10-9-2008 की प्रति प्रस्तुत की गयी है जो निम्नवत् हैः-

Refractory monolithic are composed of Refractory materials to form monolithic structure and are used as powder , mortars,castables,ramming mass for various purposes in glass,ceramic and metallurgical furnaces.

Refractory monolithic का अभिप्राय Refractory material से निर्मित structure से है। इसके अन्तर्गत Refractory की फायर ब्रिक्स,ब्लॉक,टाइल्स आते है । अतः इस पर 4 प्रतिशत की दर से करदेयता होनी चाहिए।

4- मैनें व्यापारी के धारा-59 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों,प्राप्त विभागीय आख्या ,विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को का अवलोकन किया। वैट अधिनियम की अनुसुची-2 के भाग-ग के कमांक-197 के अन्तर्गत Refractory सम्बन्धित फायर ब्रिक्स,ब्लॉक,टाइल्स पर 4 प्रतिशत की दर से करदेयता है।

5- प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

6- इस निर्णय की एक प्रति प्रार्थी को तथा एक प्रति सम्बन्धित कर निर्धारक अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय।

~~दिनांक~~ ::25-9-,2008

वै० स० ग्रेड-II
प्रमाणित प्रतिलिपि
वाणिज्य कर मुख्यालय लखनऊ

ह0/25-9-2008

(दीपक कुमार)

कमिश्नर वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश,लखनऊ।